



आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर
CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD NORTH

पहली मंजिल, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009

FIRST FLOOR, CUSTOM HOUSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD – 380009

फ़ोन/Phone : 079 - 27544599 ई-मेल/E-Mail : commr-cexamd2@nic.in फ़ैक्स/Fax : 079-27544463

दिनांक/Date:-14-12-2023

निविदा सूचना / Quotation Notice

इस कार्यालय को आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी और सीएक्स, मुख्यालय, अहमदाबाद उत्तर के लिए एक वर्ष की अवधि यानी जनवरी-2024 से दिसंबर-2024 तक के लिए नीचे उल्लिखित 08 सक्रिय एक्स-कस सदस्यता के नवीनीकरण की आवश्यकता है।

This office requires renewal of 08 below mentioned Active Ex-cus Membership for the period of one year i.e., from **January-2024 to December-2024** for the Office of the Commissioner, CGST & CX, HQ, Ahmedabad North.

सक्रिय एक्स-कस सदस्यता का विवरण :**Details of the Active Ex-cus Membership :**

क्रमांक / Sr.No.	एक्स-कस सदस्यता संख्या / Ex-cus Subscription No.
01	1828
02	8679
03	9337
04	2061
05	16973
06	13241
07	11912
08	22659

निम्नलिखित नियमों और शर्तों के तहत इस कार्यालय में निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-ए के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित सक्रिय एक्स-कस सदस्यता डोंगल के लिए प्रतिष्ठित प्रकाशनों/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं से बंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं :

Sealed quotations are invited from reputed Publications/Suppliers/Vendors for the above mentioned Active Ex-cus Membership dongles as per the prescribed Performa **Annexure-A** to this office under the following terms and conditions :

- जीएसटीएन नंबर लेटर हेड पर मुद्रित होना चाहिए।
GSTN No. should be printed on letter head.
- निविदा संयुक्त आयुक्त (का व स), सीजीएसटी और सीएक्स, अहमदाबाद उत्तर, पहली मंजिल, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद को संबोधित किया जाना चाहिए।
The quotation should be addressed to **THE JOINT COMMISSIONER (P&V), CGST CX., AHMEDABAD NORTH, 5th FLOOR, CUSTOM HOUSE, NAVRANGPUR**

AHMEDABAD.

3. लिफाफे पर "जनवरी'24 से दिसंबर'24 की अवधि के लिए एक्स-कस नवीनीकरण के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए।
Envelop should be subscribe with words "Quotation for Ex-cus Renewal for the period January'24 to December'24".
4. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21.12.2023 (शाम 17:30 बजे) है।
The last date of submission of the quotations is **21.12.2023 (17:30 PM)**.
5. उद्धृत शुल्क में मासिक/तिमाही आधार पर सीडी की आपूर्ति और स्थापना आदि सभी कर शामिल होने चाहिए।
The charge quoted should be inclusive of all taxes for supply and installation of CDs on monthly/quarterly basis etc.
6. पार्टी/विक्रेता द्वारा अद्यतन सीडी की नियमित आपूर्ति बनाए रखी जानी चाहिए, ऐसा न करने पर सीजीएसटी एंड सीएक्स, अहमदाबाद उत्तर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार दंड का भुगतान करना होगा।
Regular supply of updated CDs should be maintained by the party/vendor failing to which liable to pay penalty as decided by the competent authority of CGST &CX., Ahmedabad North.
7. विभाग बिना कोई कारण बताए निविदा को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
The department reserves the right to reject/cancel the quotation without assigning any reason thereof.

अनुलग्नक-क / Annexure-A

क्रमांक Sr.No.	विवरण Particulars	मात्रा Qty.	राशि Amount	छूट Discount	कुल राशि (सभी कर सहित) Total Amount (inclusive of all taxes)
01.	जनवरी'24 से दिसंबर'24 की अवधि के लिए एक्स-कस नवीनीकरण Ex-cus renewal for the period of January'24 to December'24				

सहायक आयुक्त (कावस)
Assistant Commissioner (P&V)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :
Copy forwarded for information and necessary action to:

I/1720947/2023

1. अधीक्षक (प्रणाली), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर को आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

The Superintendent (System), CGST & CX. Ahmedabad North Commissionerate, for uploading the Quotation Notice on Commissionerate website.

2. सूचना पट्ट / Notice Board ।